67

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2016 रिग - 1589 - II-16

लखन आ. श्री श्रीमल पंवार आयु वयस्क
निवासी ग्राम तकीपुर तहसील व जिला सीहोर म0प्र0 .....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

रामकिशन आ. श्री खुशीलाल आयु वयस्क
निवासी कृषक ग्राम तकीपुर तहसील व जिला
सीहोर म0प्र0 .....रेस्पाण्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 08/02/2016 प्रकरण कमांक 104/निगरानी/2010-11 पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल म0प्र0 द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने है।

01. **प्रकरण कमांक 104/निगरानी/2010-11 पारित आदेश दिनांक 08/02/2016 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल म0प्र0**
02. **प्रकरण कमांक 145/निगरानी/08-09 अपर कलेक्टर महोदय सीहोर**
03. **प्रकरण कमांक 390/अ-12/08-09 तहसीलदार महोदय सीहोर**
04. **प्रकरण कमांक 17/अ-70/08-09 तहसीलदार महोदय सीहोर**

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह द्वितीय निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पाण्डेंट द्वारा नायब तहसीलदा के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन के आधार पर प्रकर कमांक 390/अ-12/08-09 पंजीबद्ध किया गया। सीमांकन पंचनामा दिनांक 23/06/200 के आधार पर दिनांक 23/06/2009 को कोई कार्यवाही शेष नहीं होना मानकर प्रकर नस्तीबद्ध कर दाखिल रिकार्ड कर दिया गया। उपरोक्त सीमांकन कार्यवाही के विरु निगरानीकर्ता ने 145/निगरानी/08-09 कलेक्टर महोदय सीहोर के समक्ष प्रस्तुत कर निगरानी विचारणकाल में रेस्पाण्डेंट द्वारा दिनांक 27/07/2009 को नायब तहसीलदार समक्ष धारा 250 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन में निकली भूमि खसरा कमांक

निरंतर पेज 2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1589–दो/2016 जिला सीहोर

लखन विरूद्ध रामकिशन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–7–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आदेश दिनांक 8–2–2016 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा सीमांकन के पश्चात बेदखली की कार्यवाही हेतु 250 की कार्यवाही प्रारंभ की गई। अपर कलेक्टर के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 19–11–09 के पालन में पुनः सीमांकन कार्यवाही प्रारंभ करने आदेश दिये गये जिसके पश्चात पुनः सीमांकन किया गया और अनावेदक की भूमि पर आवेदक का 20 डेसीमल भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया। अपर आयुक्त अपने आदेश में निकाला है कि दुबारा सीमांकन के आदेश के होने पर धारा 250 का नया प्रबकरण संस्थित किया जाना आवश्यक नहीं है। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष इसलिए उचित है क्योंकि यदि एक बार हुये सीमांकन आदेश के पश्चात दुबारा किये गये सीमांकन आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है तो 250 के प्रकरण में वादवस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए नया 250 का प्रकरण दायर करने की आवश्यकता नहीं है। अपर आयुक्त द्वारा पारित	

आदेश में किसी प्रकार अवैधानिता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में इस निगरानी ग्राह्यता के आधार प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य